

राजस्थान सरकार
कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर (राज.)
वृद्धावस्था / विधवा / अपाहिज पेंशन हेतु आवेदन

जिला : नागौर

तहसील :

ग्राम / कस्बा / थाना / पुलिस स्टेशन.....



1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक के पिता / पति का नाम :
3. आवेदक की श्रेणी (महिला / पुरुष):
4. आवेदक का पूर्ण पता :
5. पहचान चिन्ह :
6. आवेदक के सम्बन्धियों का विस्तृत विवरण एवं उनकी आयु
(क) पुत्र.....नाम.....आयु.....
(ख) पौत्र.....नाम.....आयु.....
(ग) पति / पत्नी.....नाम.....आयु.....

टिप्पणी :- (क) केवल सम्बन्धित मदों को ही भरा जाएगा तथा उनकी आयु का उल्लेख किया जायेगा जो मद सम्बन्धित न हो उसे काट दें ।

(ख) पुत्र में दत्तक पुत्र सम्मिलित है, लेकिन सौतेला पुत्र सम्मिलित नहीं है ।

7. क्या सम्बन्धियों की कोई आय है या क्या उनके पास आय का कोई साधन.....
.....
8. क्या इनका कोई संबंधी लगातार लापता है । यदि ऐसा हो तो विस्तृत विवरण (जैसे नाम, उम्र, तारीख, जिससे वह लापता है ।)
9. क्या आपके सम्बन्धितयों में से कोई सम्बन्धी जीविका कमाने में पूर्ण रूपेण सक्षम है ।
10. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता है कि :-
(क) (1) मेरे पास किसी भी स्रोत से कोई आय नहीं होती है या मेरे पास निर्वाह आय नहीं है ।
(2) मैं, पेंशन भुगतान आदेश संख्यादिनांक.....
के द्वारा (सरकार विभाग / निजी / निकाय / संस्था किसी अन्य स्रोत का नाम उल्लेख कीजिए) सेरु. प्रतिमाह पेंशन / निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहा हूँ / प्राप्त नहीं कर रहा हूँ ।
(ख) मैंने पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है / नहीं किया है । (यदि आवेदन पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया है तो यह भी उल्लेख कीजिए कि क्या वह विचाराधीन है या उसे रद्द कर दिया गया है ।

- (ग) मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ । मैं राजस्थान में गतवर्षों से स्थायी रूप से रह रहा हूँ।
- (घ) मेरे द्वारा किये गये समस्त विवरण जहाँ तक मेरी जानकारी में सही है।

स्थान.....
दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर
दाये या बाये हाथ के
अंगूठे का निशान

12. प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित पत्र सांसद/विधानसभा/नगरपरिषद्/नगरपालिका/निगम के सदस्य या पंचायत के सरपंच/पंचायत समिति के प्रधान/जिला परिषद के प्रमुख या राज्य या केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया जावेगा।

मैं श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी
..... को गत वर्षों से जानता हूँ। उसके पहचान चिन्ह नीचे दिये गये हैं।

1.
2.
..... वह स्वस्थचित/विक्षिप्त है।

जहां तक मेरी जानकारी है, इस आवेदन में दिये गये विवरण सही है।

दिनांक :.....

प्रमाण पत्र देने वाले के हस्ताक्षर
पद एवं पूरा नाम

टिप्पणी :-

1. यदि निराश्रित व्यक्ति विक्षिप्त होने के कारण या अंगूठे का निशान लगाने में अक्षम है, तो आवेदन पत्र पर ऐसे संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं जो पेंशन की राशि से उस निराश्रित की संभाल करने का वचन देता है।
2. आवेदन के स्वीकृति अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी करने पर फोटोग्राफ की पासपोर्ट साईज की दो प्रतियां सांसद, विधायक, ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख, राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा उचित रूप से अनुप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करनी होगी।